199

335

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र)

I/निगरानी/नरसिंहपुर/भू-रा/2017/1707

विमलाबाई पति स्व. मझले गौंड

निवासी गांगई तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

आवेदिका

बनाम

1:- चंद्रेश आत्मज स्व. बाबूलाल कौर एवं अन्य

निवासी मेहराखेड़ा तह. गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

2:- श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रेवेन्यु) गाडरवारा

तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर

अनावेदक/उत्तरवादीगण

श्री एस० साहू
03 MAY 2017

निगरानीअन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 170 (ख) म.प्र.भू.रा.सं.

अपीलांथीवर्तमान निगरानी राजस्व प्रकरण क्रमांक 25ब/121सन् 2015-16 श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/12/2016 से पीड़ित होकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन क्रमांक 1883/2017 में पारित आदेश दिनांक 20/2/2017 में दिए गए निर्देश अनुसार धारा 170 ख म.प्र. भू.रा.संहिता के अन्तर्गत दिए गए आदेश दिनांक 21/12/2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करती है ।

अपील के तथ्य

1:- यह कि आवेदिका एक गोड़ आदिवासी समाज की है तथा उसके पति स्वर्गीय मझले गौड़ को पटटा पर मिली भूमि में अवेधानिक तरीके से सर्वण समाज के स्व. बाबूलाल कौरव द्वारा फर्जी व बनावटी इंद्राज सन् 1990 में कराया जाकर एन.टी.पी.सी. से भूअर्जन मुआवजा राशि 75 लाख रूपया अनावेदक चंद्रेश वगैरा द्वारा प्राप्त करलेने के विरूद्ध जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ प्रधान मंत्री कार्यालय में शिकायत क्रमांक पी.एम.ओ./पी./एम.नी./एम./14/0001423 प्रस्तुत किया था जो कि माननीय न्यायालय द्वारा जाचं व प्रतिवेदन हेतु उत्तरवादी क्रमांक 2 श्रीमान एस.डी.ओ.गाडरवारा को प्रेषित किया था। परन्तु उक्त प्रकरण में जांच कर प्रतिवेदन ना देते हुए सीधे आदेश पारित कर दिया गया ।

2:- यह कि प्रकरण के तथ्य यह है कि आवेदिका के पति स्वर्गीय मझले गौड़ आत्मज जवाहर गौड को शासन द्वारा रा.मा. क्रमांक 3अ/90 सन् 1976-77 आदेश दिनांक 3/!0/1976 से मौजा उमरिया नं.व. 31 प.ह.नं. 88 तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में स्थित भूमि खसरा नबंर 78 में से रकवा 4.99 एकड़

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/नरसिंहपुर/भू.रा./2017/1707

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/2/19	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गाडरवारा जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 25/ब-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण पुन: सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर**	